| राजस्थान राज–पत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
| --- | --- |
| साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |

अग्रहायण 4, बुधवार, शाके 1931–नवम्बर 25, 2009
*Agrahayna 4, Wednesday, Saka 1931–November 25, 2009*

भाग 4 (ग)

उप खण्ड I

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**कार्मिक (क–2) विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, नवम्बर 17, 2009**

**GSR. 60:**-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (I-संशोधन ) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 29 का संशोधन.–** राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 29 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "सिस्टम एनालिस्ट" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अपर निदेशक" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**3. अनुसूची–I का संशोधन.**–उक्त नियमों से निम्न अनुसूची–I में,–(i) विद्यमान क्रम संख्यांक 1 और 2 को क्रमशः क्रम संख्यांक 2 और 3 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

(ii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित क्रम संख्या 2 की विद्यमान प्रविष्टियों के पूर्व क्रम संख्यांक 1 पर निम्नलिखित नयी प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थातः—

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अपर निदेशक | -- | 100% | -- | सिस्टम एनालिस्ट | स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव | -- |

(iii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ सं. 7 में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष की सेवा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्तम्भ 6 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या प.5(2)डी.ओ.पी./ए-II/91]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

नलिनी कठोतिया,

**उप शासन सचिव,**

कार्मिक (क-2) विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर।

**DEPARTMENT OF PERSONNAL**

**NOTIFICATION**

**Jaipur, November 17,2009**

**GSR-60:**-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992, namely:-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Rajasthan Computer State and Subordinate Service (I-Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 29.-** In sub-clause (iv) of clause (b) of rule 29 of the Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992 hereinafter referred to as the said rules, for the existing expression "System Analyst" the expression "Additional Director" shall be substituted.

3. **Amendment of Schedule-I.-** In Schedule-I appended to the said rules,-

   (i) The existing serial number 1 and 2 shall be renumbered as serial number 2 and 3, respectively.

   (ii) before the existing entries at serial number 2 so renumbered, the following new entries at serial number 1, shall be inserted, namely:-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Additional Director | - | 100% | - | System Analyst | 5 years experience on the post mentioned in column 6 | - |

   (iii) in column number 7 against serial number 2 so renumbered, for the existing expression "3 years service on the post mentioned in column 6" the expression "5 years experience on the post mentioned in column 6" shall be substituted.

**[No. F. 5(2)DOP/A-2/91]**

**By order and in the name of the Governor,**

नलिनी कठोतिया,

**Deputy Secretary to the Government,**

Department of Personnel

(A-G-II)

Secretariat, Jaipur.

***Government Central Press, Jaipur.***